

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22/22517
सेवा में

दिनांक: 25 MAR 2022

✓ श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या- 183 दिनांक 29 मार्च, 2022
महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 21.03.2022 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)

नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(64)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021-22

दिनांक:

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-110002

नीलम वैकराचलम

उप-निदेशक (लिटीगेशन)

नोडल ऑफिसर(प्रश्न शाखा)

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या:-183

दिनांक:- 29/03/2022

प्रश्नकर्ता:- श्रीमती बंदना कुमारी

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या सरकार की विकलांग, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए (जिलाधीश कार्यालय में संचालित राहत कोष सुविधा की तरह) उन्हें ट्राईसाईकिल एवं स्पोर्टस स्टिक प्रदान करने के लिए कोई नया फंड बनाने की योजना है;	जी, हाँ।
(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;	1. समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा सुगम्य सहायक योजना प्रस्तावित है, जिसके तहत विकलांगजनों को ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 2. विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 88 एवम् दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम 2018 के नियम 52 के तहत विकलांगजनों के लिए राज्य निधि का सृजन करने की प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद विकलांगजनों को स्पोर्टस स्टिक प्रदान कराने का प्रावधान है।
(ग) क्या वर्तमान में सरकार का कोई ऐसा प्रावधान/फण्ड है, जिसके तहत विधायक द्वारा लोगों की मदद की जा सके;	इस विभाग में ऐसा कोई फंड/प्रावधान वर्तमान में नहीं है।
(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और	उपरोक्त (ग) के अनुसार।
(ङ) यदि नहीं तो इस संबंध में नीति बनाने की क्या सरकार की कोई योजना है?	उपरोक्त उत्तर (ख) 2 के अनुसार।


Deputy Director (Disability)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi
GLNS Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002